भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4073

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जलमार्गों की बाढ़ के पानी को रखने की क्षमता

4073. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री इटेला राजेंदर:

श्रीमती डी. के अरूणा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न शहरों में और उनके आसपास लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक अतिरिक्त जलमात्रा या बाढ़ के पानी को ले जाने वाले प्रमुख जलमार्ग और नदियां, मानसून के दौरान देश के कई क्षेत्रों में प्रमुख जलाशयों और विभिन्न जल निकयों की तुलना में बेहतर बाढ़-वहन क्षमता रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिशेष जलमार्गों को साफ किया जाएगा और जल चैनलों के अधिशेष जलमार्ग से भी गाद निकाली जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विभागों ने विभिन्न नदियों के कुछ हिस्सों में बाढ़ और अवरोधों को कम करने के लिए विशेष रूप से चेकडैम के पास संवेदनशील हिस्सों पर प्रमुख जलमार्गों से खरपतवार और तैरते कचरे को हटाने के लिए भी धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क)और (ख): संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार, नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों में जल निकासी के रास्ते से ड्रेंनज जमाव को हटाने, चैनल क्षमता में सुधार करने और नौचालन उद्देश्य से ड्रेजिंग सहित गाद निकालने के उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं। नदियों की गाद, निकालना/जमाव हटाना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना जाता है क्योंकि इससे आंशिक लाभ मिलता है और यह केवल अल्प अवधि के लिए प्रभावी होता है। विशिष्ट खंडों जैसे ज्वारीय नदियों, संगम स्थानों में संकीर्ण संकुचित स्थलों आदि में चयनात्मक तलकर्षण कार्य कभी-कभी

स्थानीय स्थल परिस्थितियों के आधार पर करना पड़ सकता है। तथापि, इसके लिए समुचित वैज्ञानिक मॉडल अध्ययन होना चाहिए।

इसके अलावा, नदी के मार्ग और जल निकायों में तलछट के समग्र और व्यापक प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ व्यापक परामर्श में "तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा (एनएफएसएम)" तैयार किया है। इसका जोर गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। इस फ्रेमवर्क में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर उचित ध्यान देते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर बल दिया गया है।

(ग) और (घ): आवासन और शहरी कार्य मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करके और राष्ट्रीय मिशनों यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) एवं अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, अब तक, विभिन्न राज्यों में 6159 करोड़ रुपये की लागत से 3078 जल निकायों की कायाकल्प परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें जलभृतों के गाद निकालने, बरसाती जल नालों के माध्यम से वर्षा जल संचयन कार्य करने और जल निकायों के आसपास बरसाती पानी की नालियों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण करने जैसे घटक भी शामिल हैं।

*****